भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 668

उत्‍तर देने की तारीख : 27 जुलाई, 2015

**केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के विरुद्ध आरोप**

**668. श्री सी॰ पी॰ नारायणनः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के तीन कुलपतियों के बारे में विश्वविद्यालय अधिनियमों तथा संविधियों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने के साथ-साथ छात्रों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध मनमानी कार्रवाई के आरोप हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या लगभग सभी मामलों में जांच की गई है;

(ग) क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई की गई; और

(घ) क्या सरकार कुलपतियों की नियुक्ति में और ज्यादा सतर्कता बरतेगी?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) से (ग): जी, हां। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के विरूद्ध अनियमितताओं, सरकारी अनुदानों के दुरूपयोग और अन्य दुराचार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर और झारखंड़ केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपतियों के विरूद्ध सीबीआई ने मामले दर्ज किए हैं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय के संबंध में तथ्य अन्वेषण समितियां गठित की गई और उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्व-भारती के कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

 केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित और शामिल सांविधिक स्वायत्त निकाय हैं। ये बनाए गए इन अधिनियम, संविधियों और अध्यादेशों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं। इसलिए, केन्द्र सरकार इनके दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। यूजीसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विरूद्ध आरोपों/शिकायतों को देखता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विज़िटर के रूप में भारत के राष्ट्रपति को विश्वविद्यालय के अधिनियम और संविधियों के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्रशासनों या वित्तीय मामलों के संबंध में जांच करवाने का अधिकार होता है।

(घ): सरकार कुलपतियों की नियुक्ति के मामले में अत्यधिक सावधानी बरतती है और हमेशा सतर्क रहती है।

\*\*\*\*\*